अनुसूची 14–फारम सं0– 462

आदेश–पत्रक

(देखें अनिलेख हस्तक, 1941 का नियम 126)

आदेश पत्रक – ता0..... से ..... तक

जिला..... सं0.....सन् 16.....

केश का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित 3
22.12.2014	<u>न्यायालय, उप निदेशक, कल्याण, कोशी प्रमंडल, सहरसा</u> आँगनबाड़ी अपीलवाद सं0 –15/2013 अपीलार्थी – श्रीमती बेबी कुमारी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य **–:<u>आदेश</u>:–** प्रश्नगत आँगनबाड़ी अपीलवाद सं0–15/2013 बेबी कुमारी बनाम राज्य सरकार निम्न न्याायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल के ज्ञापंक 928 दिनांक 29.06.2013 के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में हस्तांतरित होकर दायर किया गया है। इस अपीलवाद में आरोप यह है कि सुपौल परियोजना के केन्द्र सं0 –70 बकौर हाट का जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा दिनांक 23.01.2013 को 1:30 मिनट अपराह्न में औचक निरीक्षण किया गया निरीक्षण के क्रम में केन्द्र बंद था सेविका /सहायिका अनुपस्थित थी। केन्द्र पर फ्लेक्सी बॉर्ड, मेनु चार्ज आदि प्रदर्शित नहीं था। केन्द्र के बारें में अंकित अनियमितता के संबंध में सेविका से स्पष्टीकरण कार्यालय पत्रांक 396 /प्रो0 दिनांक 26.03.2013 द्वारा पूछा गया जिसमें सेविका को 30.03.2013 को स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु निर्देश दिया गया निर्धारित तिथि को सेविका/सहायिका ने अपना स्पष्टीकरण जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के समक्ष रखा। किन्तु जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने सेविका के स्पष्टीकरण पर असहमति प्रकट करते हुए सेविका को पद से चयनमुक्ति आदेश पारित कर दिए। सेविका के स्पष्टीकरण से असहमति प्रकट करते हुए जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल ने बताया	

कि अधोहस्ताक्षरी 1:30 बजे केन्द्र पर पहुँचे हैं केन्द्र चलने का कोई संकेत नहीं मिला न केन्द्र पर बोर्ड लगा पाया और न केन्द्र स्थल सृदृश दिखा। सेविका/सहायिका तो कम से कम उपस्थित रहती अतः केन्द्र चला था असत्य, मनगढ़ंत है, अभिभावक के कहने पर ठंडे के कारण कुछ समय पहले छुट्टी दी गई, असत्य है सेविका अपनी गलती छुपाने के लिए ऐसा स्पष्टीकरण दिया है।

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी एवं सरकारी अधिवक्ता ने अपना–अपना पक्ष, साक्ष्य एवं कागजात इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बतलाया कि दिनांक 23.01.13 को 1:30 बजे अपराह्न में डी0पी0ओ0 सुपौल द्वारा प्रश्नगत केन्द्र का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दिन केन्द्र के सेविका/सहायिका दोनों उपस्थित थी चूँकि निरीक्षण तिथि 23 जनवरी 13 को काफी ठंड एवं कुहासा था एवं उस कड़ाके ठंड के बीच बच्चों को सेविका/सहायिका द्वारा स्कूल पूर्व शिक्षा देकर तथा पूरक पोषाहार खिलाया भी गया था चूँकि उक्त तिथि को काफी कपकपाती ठंड थी, काफी कुहासा था फिर भी बच्चे ठंड के कारण कपकपाती ठंड में भी केन्द्र पर मौजूद थे, सूर्य भगवान भी अपना दर्शन नहीं दिए थे। इसी बीच कुछ पंजीकृत लाभुक बच्चों के अभिभावक ने आकर दबाव देना शुरू कर दिया कि आज अत्यधिक ठंड है बच्चे काफी छोटे उम्र के हैं अतः आज अत्यधिक ठंड के कारण समय से पहले केन्द्र को बन्द किया जाय। अतः उन्हीं के दबाव पर निर्धारित समय से आधा घंटा पहले केन्द्र बन्द कर छुट्टी दे दी गई इस संबंध में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने पंजीकृत बच्चों के माता–पिता/अभिभावक का शपथ पत्र जो नोटरी पब्लिक सुपौल द्वारा बनाया गया है अवलोकन कराया गया जिसमें पंजीकृत लाभुक बच्चों के माता–पिता एवं अभिभावक ने यह बताया है कि दिनांक 23.01.13 को आँगनबाड़ी सेविका श्रीमती बेबी कुमारी द्वारा केन्द्र का संचालन सही तरीके से कर बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा एवं पूरक पोषाहार गीला राशन खिचड़ी खिलाकर केन्द्र बन्द होने से निर्धारित समय से आधा घंटा पहले छोड़ा गया है छोड़ने का कारण यह है कि हम लाभुक वर्ग के माता–पिता/अभिभावक के दबाव पर ही केन्द्र निर्धारित अवधि से पहले बन्द किया गया है चूँकि 23.01.13 को कपकपाती ठंड में छोटे बच्चे को ध्यान में रख कर ही यह कदम उठाना पड़ा। ऐसा इसलिए भी कि अगर ठंड के कारण बच्चों जो Minor age के है, कुछ अनहोनी घटना हो जाने पर समस्या और भी गंभीर न हो जाए। सेविका द्वारा भी आधा घंटा पहले केन्द्र को बन्द करना उचित समझा गया।

उपरोक्त सारे विवेचनाओं, पक्ष एवं विपक्ष, साक्ष्य एवं कागजात के अवलोकन के पश्चात् यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी का आदेश बिल्कुल असंवैधानिक एवं उचित नहीं है जब यह जानते हुए भी कि पूरक पोषाहार 0 से 5–6 वर्ष के बच्चे को दिया जाना है तो ऐसी परिस्थिति में अत्यधिक कपकपाती ठंड में बच्चों को घेर कर रखना

एवं पोषाहार देना एवं खिलाना एक कठिन कार्य है बच्चे स्वभाविक रूप से चंचल होते है वे केन्द्र पर एक जगह चुपचाप बैठना नहीं चाहते हैं, उस कड़ाके ठंड में भी बाहर/भीतर करते रहते हैं। अगर कड़ाके के ठंड के कारण आधा घंटा पहले केन्द्र बन्द कर दिया गया तो इस में सेविका/सहायिका की कोई गलती नहीं मानी जानी चाहिए चूँकि जब लाभुक के माता–पिता/अभिभावक केन्द्र पर पहुँच कर अपने बच्चों को ले जाने के लिए उतारू हो जाते हैं, तो फिर बच्चों को रोक पाना सेविका/सहायिका की बस की बात नहीं थी। वे अपने माता–पिता/अभिभावक की बातें मानना ज्यादा पसंद करेंगी जो स्वाभाविक है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल का आदेश इस प्रकार भी गलत प्रतीत होता है कि अगर उन्हें लगा कि उनके निरीक्षण के समय 1:30 बजे अपराह्न केन्द्र बन्द पाया गया सेविका/सहायिका अनुपस्थित थी, केन्द्र उक्त तिथि को संचालित होने का लक्षण नहीं मिला तो विभागीय मार्गदर्शिका पत्रांक 956 दिनांक 14.03.2012 के कंडिका III (1) के तहत् अनियमितताऐं होने, केन्द्र संचालन के संबंध कि केन्द्र संचालित था नहीं केन्द्र के लाभुक बच्चों/माता–पिता के तीन बयान लेने चाहिए जो नहीं लिए गए सिर्फ Prejumtion के आधार पर कि आज केन्द्र खुला नहीं था, सेविका/सहायिका नहीं आयी थी, इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय C.W.J.C.18817/12 में पारित निर्देशों का अनुपालन करना चाहिए, जो नहीं किया गया। केन्द्र संचालित हुआ कि नहीं इसकी जाँच करानी चाहिए जो नहीं किया गया। अतः यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी का आदेश पूर्णतः सही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा पहले केन्द्र बन्द करने के आरोप में इन्हें आर्थिक दण्ड जो उनके एक महीने के पूरक पोषाहार के बराबर की राशि की वसूली करते हुए भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो चेतावनी दिया जाता है। किन्तु काफी कड़े दण्ड वह भी किसी भी दृष्टि से न्यायोचित नहीं है, चयनमुक्ति का आदेश देना। सेविका द्वारा केन्द्र संचालित उस तिथि कड़ाके की ठंड में किया गया, बच्चों ने पूरक शिक्षा, पोषाहार भी खाया है, पंजीकृत लाभुकों माता–पिता ने भी Notory public से दिया हुआ शपथ पत्र दिया है कि प्रश्नगत केन्द्र के संचालन में हमें कोई शिकायत नहीं है तो फिर सरकार की मार्गदर्शिका 956 दिनांक 14.03.2012 के 3 के (1) का यहाँ अनदेखी किया गया है जो उचित नहीं है।

अपीलार्थी के अपीलवाद को स्वीकार करते हुए आदेश निर्गत होने की तिथि से उन्हें अपने पद पर बरकरार रखा जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

22.12.2014

उप निदेशक, कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा

22.12.2014

उप निदेशक, कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा